अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

अंसारी नगर, नई दिल्ली – 110029.

(विधि प्रकोष्ठ)

फा.संख्या.41–508 /2018/विधि प्रकोष्ठ दिनांकः 15 JAN 20

आदेश

सुश्री श्रुति कुमारी, कनिष्ठ भौतिक चिकित्सक, जी.आई. सर्जरी, अ.भा.आ. संस्थान, नई दिल्ली, को केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1965 के नियम 14 के अंतर्गत दिनांक 18.04.2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ 41–508 /2018/विधि प्रकोष्ठ के माध्यम से आरोप पत्र जारी किया गया, जो कि निम्नानुसार हैः–

"कि यह पाया गया है कि जी.आई. सर्जरी, अ.भा.आ. संस्थान, नई दिल्ली में कनिष्ठ भौतिक चिकित्सक के पद पर कार्यरत उक्त सुश्री श्रुति कुमारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना अप्राधिकृत रूप से अपनी ड्यूटी से दिनांक 01.08.2014 से वर्तमान तिथि तक जानबूझकर अनुपस्थित हैं।

सुश्री श्रुति कुमारी, कनिष्ठ भौतिक चिकित्सक, जी.आई. सर्जरी ने अपने कृत्य से संस्थान के कर्मचारियों पर लागू केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है तथा वह कर्तव्य के प्रति निष्ठा बनाए रखने में असफल रही हैं और उन्होंने अनुशासन का पालन नहीं किया है तथा अपने उपर्युक्त कृत्य के कारण सुश्री श्रुति कुमारी अवज्ञा, इरादतन अवहेलना करने के लिए उत्तरदायी हैं तथा उनका यह व्यवहार संस्थान कर्मचारी होने के लायक नहीं है और इस प्रकार सुश्री श्रुति कुमारी ने संस्थान के कर्मचारियों पर लागू केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 3(1)(ii) एवं 3(1) (iii) का उल्लंघन किया है"।

2. अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्त आरोप के अनुच्छेद के समर्थन में आरोप के विवरण (नीचे दिया गया है) की जांच की गई हैः–

"यह देखा गया है कि जी.आई. सर्जरी, अ.भा.आ. संस्थान, नई दिल्ली में कनिष्ठ भौतिक चिकित्सक पद पर कार्यरत सुश्री श्रुति कुमारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अथवा छुट्टी की मंजूरी लिए बिना अप्राधिकृत रूप से अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित है। वह दिनांक 01.08.2014 से वर्तमान तिथि तक बिना कोई सूचना दिए अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित हैं। उनके द्वारा बिना कोई सूचना दिए ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कारण अस्पताल सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने में बाधा उत्पन्न हुई है/हो रही है"।

सुश्री श्रुति कुमारी को तत्काल अपनी ड्यूटी पर कार्य–भार ग्रहण करने के लिए दिनांक 30.10.2015, 15.05.2017 तथा 14.08.2017 के ज्ञापन संख्या एफ.31–27/2002–स्था.II के माध्यम से अनुस्मारक नोटिस जारी किए गए थे और साथ ही यह कारण स्पष्ट करने के दिनेश दिए गए थे कि वे अपनी ड्यूटी से क्यों अनुपस्थित रहीं। सेवा पुस्तिका में उपलब्ध उनके पतों पर भेजे गए सभी प्रकार के पत्राचार डाक प्राधिकरण से "सुपुर्द नहीं किया गया और वे छोडकर चले गए (अनडिलिवर्ड एंड लेफ्ट) /अपूर्ण पता" की टिप्पणियों सहित वापिस प्राप्त हुए है।

संस्थान की कर्मचारी होने के नाते सुश्री श्रुति कुमारी ने अपर्युक्त कदाचार से कंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है तथा अवज्ञा दर्शाई है और कर्तव्य के प्रति निष्ठा बनाए रखने में असफल रही हैं और उन्होंने अनुशासन का पालन नहीं किया है और इस प्रकार उन्होंने अ.भा.आ.सं. विनियमों 1999 (समय–समय पर यथा संशोधित) के विनियम 33(2) के साथ पठित केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 3(1)(ii) एवं 3(1) (iii) का उल्लंघन किया है"।

3. आरोपित अधिकारी (सी.ओ.) के पते पर स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा गया आरोप पत्र रिपोर्ट में उपलब्ध है। हालांकि, इस आरोप पत्र को डाकघर द्वारा "छोड कर चले गए" तथा "पूछताछ" पर यहां नहीं रहता अब" की टिप्पणियों के साथ वापस भेज दिया गया।

4. इसके उपरांत, मामला प्रशासनिक अधिकारी (नि.का.) के पास ले जाया गया ताकि वे अपने अभिलेखें में आरोपित अधिकारी के उपलब्ध अन्य पते, यदि कोई हो, उपलब्ध करायें। उन्होंने आंरोपित अधिकारी के 03 विभिन्न पते उपलब्ध कराए जो विधि प्रकोष्ठ के अभिलेखों में उपलबध नहीं थे। आरोपित अधिकारी के इन तीनों नए पतों पर स्पीड पोस्ट द्वारा आरोप पत्र की एक–एक प्रति भेजी गई लेकिन डाकघर द्वारा इन सभी को "इस प्रकार का कोई व्यक्ति नहीं है/लावारिस" की टिप्पणियों के साथ वापस भेज दिया गया। इस प्रकोर आरोपित अधिकारी की ओर से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ।

5. अध्यक्ष महोदय, अ.भा.आ.सं. यह नोट कर चुके हैं कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 04 सितंबर 2018 के एक आदेश के माध्यम से सुश्री रेनू भारद्वाज, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को मामले की जांच करने के लिए जांच अधिकारी (आई.ओ.) नियुक्त किया गया था।

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
Ansari Nagar, New Delhi – 110029
(Legal Cell)

No.F.41- 508/2018/Legal Cell Dated: 15 JAN 2020

ORDER

Ms. Shruti Kumari, Jr. Physiotherapist, G.I. Surgery, AIIMS, New Delhi was charge sheeted under Rule 14 of the CCS (CCA) Rules, 1965 vide O.M. No. F. 41-508/2018-Legal Cell dated 18.04.2018 as under:-

"That the said Ms. Shruti Kumari, while working as Jr. Physiotherapist in G.I. Surgery, AIIMS, New Delhi has been found willfully absenting herself from duties unauthorizedly since 01.08.2014 till date without prior permission from Competent Authority.

Ms. Shruti Kumari, Jr. Physiotherapist, G.I. Surgery, by her act has willfully violated the provisions of the provisions of CCS(Conduct) Rules, 1964 applicable to the employees of this Institute and has failed to maintain devotion to duty, which is not amenable to discipline and by her above mentioned acts Ms. Shruti Kumari is responsible for disobedience, willful insubordination and has acted in a manner of unbecoming of an Institute employee and thus Ms. Shruti Kumari has contravened Rule 3 (1) (ii) & Rule 3 (1) (iii) of the CCS (Conduct) Rules, 1964 as applicable to the employees of the Institute".

2. Disciplinary Authority has also gone through the Statement of Imputation (reproduced below) in support of the aforesaid Article of Charge:-

"It has been observed that Ms. Shruti Kumari, while working as Jr. Physiotherapist in G.I. Surgery, AIIMS, New Delhi is absenting herself from her duty unauthorizedly without prior permission or sanction of leave by the Competent Authority. She is absenting herself from her duty since 01.08.2014 till date without any information. Her absence from duty without information has caused/is causing disruption in the smooth functioning of the hospital services.

Ms. Shruti Kumari was issued recall notices vide memorandum No.F.31-27/2002-EStt-II dated 30.10.2015, 15.05.2017 and 14.08.2017 to join back her duties imeediately with further directions to explain reasons as to how she is absenting herself from her official duties. All the communications sent to her available addresses in the Service Book have been received back undelivered with the remarks of "Undelivered and Left/incomplete address" from the postal authority.

Ms. Shruti Kumari being an employee of this Institute, by her above misconduct has violated the provisions of CCS(Conduct) Rules, 1964 and has shown insubordination and has failed to maintain devotion to has shown duty and is not amenable to discipline and has thereby contravened Rule 3 (1) (ii) & Rule 3 (1) (iii) of the CCS (Conduct) Rules, 1964 read with Regulation 33(2) of the AIIMS Regulations 1999 (as amended from time to time)".

3. The charge sheet was sent through speed post to Charged Officer (C.O.) at the address is available in the reports. However, the same was returned by the post office with remarks that "Left" and "Puchtach per yahan nahi rahta ab".

4. Thereafter, the matter was taken with AO(DO) to provide other available addresses of C.O. in their report, if any. They provided 03 different addresses of the C.O. which were not available in the records of Legal Cell. A copy of the charge sheet was sent to new addresses of C.O. through speed posts but all have returned back by the post office that the remarks "no such person/unclaimed". Hence no response was received from C.O.

5. President, AIIMS have noted that the competent authority by means of order dated September 4, 2018, appointed Ms. Renu Bhardwaj, Sr. Administrative Officer as the Inquiry Officer (I.O.) in order to conduct an inquiry into the matter.